प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

माननीय आई.एम. कुद्दूसी एवं माननीय मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्तिगण .

रिट अपील क्रमांक 250 / 2009

रिट अपील संख्या 272/2009

निर्णय विचायार्थ प्रस्तुत

सही /-

आई.एम.कुद्दुसी

न्यायामूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

सही /-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायमूर्ति

02/07.06.2010 की पोस्ट

सही /-

न्यायामूर्ति

30.06.2010

छत्तीसगढ़ न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ :

माननीय आई.एम. कुद्दूसी एवं माननीय मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्तिगण

रिट अपील क्रमांक 250/2009

अपीलार्थी	नवीन आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र

बनाम

प्रत्यर्थीगण	छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 272/2009

अपीलार्थी	छत्तीसगढ़ राज्य और दो अन्य

बनाम

प्रथयर्थीगण	नवीन आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और दूसरा

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के तहत रिट अपील</u>

<u>उपस्थिति:</u>

श्री टी.के. तिवारी, डब्लू.ए.सं.250/2009 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता और
डब्लू.ए.सं.272/2009 में प्रतिवादी संख्या 1।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री विनय हरित, वरिष्ठ अधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, श्री अरविंद दुबे, राज्य/अपीलकर्ताओं के लिए पैनल अधिवक्ता , डब्लू.ए.सं. 272/2009 में तथा डब्लू.ए.सं. 250/2009 में प्रतिवादी 1 से 3।

श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा, भारत संघ की सहायक सॉलिसिटर जनरल

<u>निर्णय</u>

<u>(02.07.2010)</u>

<u>आई.एम. कुद्दुसी द्वारा</u>

1. ये दो रिट अपीलें विद्वान एकल न्यायधीश द्वारा पारित दिनांक 21-07-2009 के सामान निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं। एकल न्यायाधीश ने डब्लू.पी कर्मांक 3313/2008 और डब्लू.पी (सी) कर्मांक 3060/2009 में यह आदेश दिया था। दोनों रिट

याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई क्योंकि डब्लू.पी (सी) संख्या 3313/2008 में रिट याचिकाकर्ता ने 29 फ़रवरी 2008 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी और बाद की याचिका, यानी डब्लू.पी (सी) संख्या 3060/2009 में 6 फ़रवरी 2009 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, साथ ही रिट याचिका के उत्तरवादीगण को छात्रों के नाम पंजीकृत करने और प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि छात्र अंतिम परीक्षा में बैठ सकें। रिट अपील संख्या 250/2009 नवीन आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जबकि डब्लू (अ)

रिट अपील कर्मांक संख्या 272/2009 राज्य द्वारा दायर की गई है।

2. संस्थान द्वारा रिट अपील दायर करने का कारण यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उतरवादीगण द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया है और छात्रों को इस तथ्य के बावजूद प्रवेश दिया गया था कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की दो इकाइयां स्वीकृत की गई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. राज्य ने इस बात से व्यथित होकर रिट अपील दायर की है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि जिन छात्रों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, उनके परिणाम इस तथ्य के बावजूद घोषित किए जाएं कि वे एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे।

4. जो बातें इस केस से बहुत जुड़ी हैं, वे यह हैं कि डब्लू. पी रिट अपील कर्मांक 250/2009 का रिट अपीलेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक रजिस्टर्ड एफिलिएटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। पहले के मध्य प्रदेश राज्य ने इलेक्ट्रीशियन की दो यूनिट चलाने की इजाज़त दी थी। 26 फरवरी 1993 के आदेश द्वारा उक्त दो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इकाइयों को घटाकर एक कर दिया गया था। तत्पश्चात, 01 अक्टूबर 1998 को तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार के प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग द्वारा एक विज्ञापन/ज्ञापन जारी किया गया जिसमें उल्लेख किया गया था कि रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति के किसी भी इकाई को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और वर्ष 1998 के लिए केवल नवीन आदर्श तकनीकी संस्थान सहित उसमें उल्लिखित कुछ मान्यता प्राप्त संस्थानों

को निदेशालय, नई दिल्ली के साथ-साथ रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा कुछ ट्रेडों को चलाने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी संस्था का नाम सीरियल नंबर 4 पर है और उसके सामने निम्नलिखित ट्रेड और उनकी इकाइयाँ उल्लिखित हैं।

क्र.सं	निजी संस्थान का नाम	व्यापार को दी गई मान्यता का नाम	संख्या इकाइयाँ
04.	नवीन आदर्श तकनीकी संस्थान, धनोरा, जिला दुर्ग	फिटर इलेक्ट्रीशियन	4 4

05. तत्पश्चात पुनः दिनांक 11.02.2004 को संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ द्वारा प्राचार्य/अधीक्षक, नवीन आदर्श तकनीकी संस्थान, धनोरा, जिला दुर्ग को संबोधित पत्र जारी किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि संस्थान में निम्नलिखित ट्रेड/इकाइयां एनसीवीटी से संबद्ध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र.सं	ट्रैड का नाम	इकाइयों की संख्या संबद्धता प्रदान की गई	सबइता प्राप्त इकाइयों की संख्या
01.	फिटर	04	4
02.	बिजली मिस्त्री	04	4

उक्त पत्र में संस्थान से यह भी अपेक्षा की गई थी कि भविष्य में भी मान्यता जारी रहेगी। इसके लिए संस्थान निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा तथा विधिवत गठित स्थायी समिति द्वारा निरीक्षण भी किया जा सकेगा कि प्रशिक्षण निरंतर दिया जा रहा है या नहीं। संस्थान समिति के साथ सहयोग करेगा तथा यदि आधारभूत संरचना निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाए गए तो मान्यता वापस ले ली जाएगी। संस्थान ने दिनांक 18.10.2007 को निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, छ.ग. को प्रशिक्षुओं के पंजीयन हेतु पत्र भेजा। उक्त पत्र के साथ 17 व्यक्तियों की सूची संलग्न थी। पुनः दिनांक 06.02.2009 को संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा एक पत्र भेजकर अपने संस्थान में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन हेतु प्रोफार्मा भरने हेतु निर्देशित किया गया। फॉर्म

भरने के निर्देश भी जुलाई, 2009 में भेजे गए थे जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नकों में दर्शाया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल के परिशिष्ट XIX के अनुबंध 4 में प्रावधान है कि संस्थान राज्य निदेशक के माध्यम से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध होगा, जो प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन और निर्देशों की देखरेख करेगा ।

06. उपरोक्त के मद्देनजर, जब रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक ने संस्था को दो बार सूचित किया था कि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से 4 इकाइयों को मंजूरी दी है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि संस्था ने सद्भावनापूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया है। इसके अलावा, संस्थान स्थायी रूप से एनसीवीटी से संबद्ध था। केवल इकाइयों की स्वीकृति का प्रश्न शेष था और यदि इकाइयों की स्वीकृति के संबंध में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक और राज्य के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सूचित किया गया था कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 4 इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं और छात्रों को प्रवेश दिया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि छात्रों का प्रवेश छत्तीसगढ़ सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक की गलती के कारण हुआ था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी क्योंकि छात्रों की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इस प्रकार उन्हें एनसीवीटी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त अनुलग्नक में संबद्धता और परीक्षा आदि का प्रावधान है, जो एनसीवीटी द्वारा दी और संचालित की जाएगी, लेकिन संबंधित राज्य के रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक के माध्यम से। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्धता के नियम और शर्तें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों के लिए प्रशिक्षण नियमावली में दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. संस्थान को पाठ्यक्रम, औजारों और उपकरणों के पैमाने, दुकान के लेआउट, प्रशिक्षण के तरीकों और समय-समय पर लागू व्यापार परीक्षण के मामले में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाना चाहिए।

2. अपेक्षित संख्या में शिक्षण स्टाफ और पर्यवेक्षी स्टाफ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वे योग्य होने चाहिए और अपने पद के लिए अनुभवी होने चाहिए।

3. प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ करने के लिए निर्धारित अखिल भारतीय तिथियों के अनुरूप होंगे।

4. संबद्ध संस्थानों के प्रशिक्षु एनसीवीटी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा में शामिल होंगे।

5. ट्रेड टेस्ट संस्थान परिसर या राज्य निदेशक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य केंद्र में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

6. संस्थान राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा तथा प्रशिक्षण मानकों में सुधार के लिए उनके द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करेगा।

7. संस्थान को राज्य प्रशिक्षण निदेशक-प्रभारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी नया ट्रेड या इकाई शुरू करने की अनुमति नहीं है। किसी भी संस्थान को उस ट्रेड को बंद करने की अनुमति देते समय, जिसके लिए पहले से ही संबद्धता दी जा चुकी है, राज्य निदेशक द्वारा बंद करने के कारण बताते हुए, कम से कम 6 महीने पहले DGE&T को सूचना दी जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.यदि यह पाया जाता है कि संस्थान निर्धारित मानकों को बनाए रखने में विफल रहता है या किसी भी तरह से एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाने में विफल रहता है, तो स्थायी समिति की सिफारिश और एनसीवीटी द्वारा इसकी स्वीकृति के आधार पर संबद्धता वापस ले ली जाएगी।

9. संस्थान राज्य निदेशक के माध्यम से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध होगा, जिससे उसे प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन और निर्देश प्राप्त करने होंगे।

10. प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण, अप्रशिक्षित प्रशिक्षकों को उनकी नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अन्यथा दी गई संबद्धता वापस ले ली जाएगी।

11 . निजी संस्थानों/केन्द्रों के प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किए जाने वाले ट्रेड टेस्ट के लिए कच्चे माल की लागत संबंधित निजी संस्थानों/केन्द्रों द्वारा वहन की जाएगी।

12. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित परीक्षा शुल्क राज्य निदेशक द्वारा निजी संस्थानों/केन्द्रों के प्रशिक्षुओं से वसूला जाएगा।

07. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम संस्था द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संस्था पर लगाया गया जुर्माना अपास्त किया जाता है।

संस्था को कोई भी व्यय देने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश के शेष आदेश को बरकरार रखा जाता है। राज्य द्वारा दायर रिट अपील खारिज की जाती है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

आई.एम.कुद्दुसी

न्यायाधीश

सही /-

मनीन्द्रमोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....तेजस्विता नंदिनी शाह .....